रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008
(2008 का 2)

फा. सं. 409-22/2007-एफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम अप्रैल, 2008 के प्रथम दिन से प्रवृत होंगे।

2 दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 5 में, खंड (iv) के पश्चात, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"परंतु यह कि इस खंड के उपबंध अप्रैल, 2008 के प्रथम दिन को तथा उसके पश्चात इस प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि "समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत रूप में संदत्त एडीसी" शब्दों का लोप कर दिया गया हो तथा उक्त तारीख के पश्चात इस खंड में रिपोर्ट करने की आवश्यकता से संबंधित उपबंधों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा :

परंतु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई भी बात अप्रैल, 2008 के प्रथम दिन को और उसके पश्चात लागू नहीं होगी।"।

3. मूल विनियम की अनुसूची III में, —

(क) पैरा 3.1 में, —

(i) प्रारंभिक भाग में, "अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए" शब्दों के स्थान पर "अप्रैल, 2008 के प्रथम

दिन का प्रारंभ होने वाली तथा सितम्बर, 2008 के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राप्त हुई अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए" शब्द, अंक और वर्ण प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) तालिका III में,–

(अ) शीर्षक में, "अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए" शब्दों के स्थान पर "अप्रैल, 2008 के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली तथा सितम्बर, 2008 के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राप्त हुई अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों के लिए" शब्द, अंक और वर्ण प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(आ) स्तंभ (2) में, "प्रति मिनट एक्सेस डेफिसिट प्रभार" शीर्षक के अंतर्गत, "1.00 रु0 (एक रुपया केवल)" अंकों, संख्याओं, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, " 0.50 रु0 (पचास पैसे केवल)" अंक, संख्या, कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) तालिका III के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"स्पष्टीकरण.–– अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार अक्तूबर, 2008 के प्रथम दिन को और उसके पश्चात लागू नहीं होंगे"।

(ख) पैरा 3.2 में, उप–पैरा 3.2.5 के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"परंतु यह कि उप–पैरा 3.2.1 से 3.2.5 में अंतर्विष्ट कोई भी बात (समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के माध्यम से एक्सेस डेफिसिट प्रभार के भुगतान को शामिल करते हुए) अप्रैल, 2008 के प्रथम दिन को और उसके पश्चात लागू नहीं होगी, तथा समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर देय एक्सेस डेफिसिट प्रभार का प्रभाव उक्त तारीख के बाद समाप्त हो जाएगा।"।

आर. के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधा./142/07]

टिप्पणी 1 : मूल विनियम दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 की फा. सं0 409–5/2003–एफएन (2003 का 4) द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :

(i) 409–5/2003–एफएन दिनांक 25 नवम्बर, 2003 (2003 का 5) (प्रथम संशोधन);
(ii) 409–5/2003–एफएन दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 (2003 का 6) (द्वितीय संशोधन);
(iii) 409–5/2003–एफएन दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 (2003 का 7) (तृतीय संशोधन);
(iv) 409–8/2004–एफएन दिनांक 6 जनवरी, 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
(v) 409–8/2004–एफएन दिनांक 11 अप्रैल, 2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन); जिसे माननीय टीडीसैट ने 2005 की अपील सं0 7 में 21 सितम्बर, 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया है।
(vi) 409–5/2005–एफएन दिनांक 23 फरवरी, 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);
(vii) 409–5/2005–एफएन दिनांक 10 मार्च, 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
(viii) 409–2/2007–एफएन दिनांक 21 मार्च, 2007 (2007 का 2) (आठवां संशोधन)

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का 2) दिनांक 27 मार्च, 2008 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

I. पृष्ठभूमि

1. ट्राई द्वारा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) प्रणालियां दिनांक 24 जनवरी, 2003 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 1) द्वारा स्थापित की गई थीं। यह प्रणाली 01.05.2003 से प्रभावी हुई। उपर्युक्त प्रणालियों की समीक्षा की गई थी तथा संशोधित आईयूसी एवं एडीसी प्रणालियां "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003" (2003 का 4) दिनांक 29.10.2003 के माध्यम से अधिसूचित की गईं, जिन्होंने उक्त संदर्भित पूर्व विनियमों का अधिक्रमण किया और जो 01.02.2004 से प्रभावी हुए। यह तब मूल विनियम बन गया, जिसमें स्थापित ढांचे के भीतर समय–समय पर संशोधन किए गए

2. पणधारकों के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग विनियम" में वार्षिक आधार पर दिनांक 06.1.2005, 23.2.2006 और 21.3.2007 को और संशोधन किए गए जोकि क्रमशः 1.2.2005, 1.3.2006 और 1.4.2007 को प्रभावी हुए। प्रधान विनियम तथा पश्चातवर्ती संशोधनों के माध्यम से एक व्यापक पसमर्श प्रक्रिया द्वारा एडीसी के प्रारंभन, उसके जारी रहने और उसे समाप्त करने के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया। संक्षेप में, इस ढांचे ने एडीसी प्रणाली का वर्णन मुख्य रूप से एक ह्रासमान व्यवस्था के रूप में किया जिसे समाप्त किया जाएगा तथा वर्ष 2008–09 से आगे अपेक्षित किसी भी सहायता को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से पूरा जाएगा।

3. प्राधिकरण द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय तथा मूल अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम और इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के व्याख्यात्मक ज्ञापनों में व्यक्त किए गए विचार दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 21.03.2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गए हैं।

II. वित्त वर्ष 2008–09 के लिए एडीसी की समीक्षा

4. पूर्व में स्थापित किए गए ढांचे के अनुसार, वर्तमान समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एडीसी के ह्रास, इसे समाप्त किए जाने तथा यूएसओ निधि द्वारा अंततः उत्तरदायित्व ग्रहण किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, इसके अनेक प्रकार से भ्रामक होने की आशा है। एडीसी की समाप्ति, ग्रामीण वायरलाइन नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए यूएसओएफ से समर्थन तथा ग्रामीण टेलीफोनी के विकास का समाधान एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने 21.01.2008 को एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) पर एक परामर्श–पत्र जारी किया। पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11.02.2008 थी। इस परामर्श–पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ उस एडीसी प्रणाली के स्थापित ढांचे का स्मरण कराया गया था, जिसे प्राधिकरण स्थापित किया गया था और जिसकी समय–समय पर समीक्षा की गई थी। इसमें न केवल एडीसी के उसके वर्तमान स्वरूप में समाप्त करने पर चर्चा की गई है, बल्कि ग्रामीण फिक्सड लाइन नेटवर्क की वृद्धि एवं अनुरक्षण तथा ग्रामीण

उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं की वहनीयता में वृद्धि करने के लिए सकारात्मक विशेषताओं के संभावित अधिष्ठापन के लिए यूएसओ निधि द्वारा एडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सहयोग को ग्रहण करने पर भी चर्चा की गई है। उन प्रमुख मुद्दों को, जिन पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं तथा उसके पश्चात चर्चा की गई: 3 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है,

मुद्दा 1: दिनांक 1.4.2008 से एडीसी की समाप्ति को प्रचालित करना
मुद्दा 2: बीएसएनएल ग्रामीण वायरलाइन के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान करना
मुद्दा 3: ग्रामीण मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए प्रवेश प्रभारों में संभावित कटौती सहित सकारात्मक विशेषताओं का अधिष्ठापन

5. प्राधिकरण को 26 पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिन्हें ट्राई की वेबसाइट में डाला गया है। नई दिल्ली में दिनांक 19.02.2008 को ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई। टिप्पणियों और विश्लेषण का सार नीचे दिया गया है:

III. मुद्दा 1: दिनांक 1.4.2008 से एडीसी की समाप्ति को प्रचालित करना

6. प्रमुख टिप्पणियों का सार

प्राप्त हुई टिप्पणियों में प्राधिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित एडीसी को समाप्त करने के पक्ष में **व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली।** इन टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है:

- *एडीसी की अवधारणा पर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क को समर्थित करने के लिए विचार किया गया था, न कि इंकम्बेंट को समर्थन पर स्थायी रूप में आश्रित बनाने के लिए;*

- *एडीसी में कटौती पिछले कुछ वर्षों में टैरिफों में गिरावट का एक कारण रही है तथा इसका प्रमुख लाभार्थी सब्सक्राइबर ही रहा है;*

- *एडीसी प्राप्तकर्त्ता पर कोई ऐसा दायित्व नहीं थोपता कि उसका प्रयोग ग्रामीण टेलीफोनी के लिए किया जाए;*

- *ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित नहीं करता क्योंकि प्राप्तकर्ता के पास ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने का कोई दायित्व नहीं है;*

- *बीएसएनएल अपने टैरिफों का पुनर्संतुलन करने के लिए एडीसी का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वह इसका प्रयोग परभक्षी टैरिफों को प्रारंभ करने के लिए कर रहा है, जिससे केवल प्रतिस्पर्धा का अभाव हो रहा है;*

- *यह आर्थिक सहायता प्राप्त सेवाओं को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है;*

- *एडीसी के परिणामस्वरूप किसी सेवा–विशेष को अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ मिल रहा है तथा इससें बाजार में विकृति हो रही है;*

- *यह उपभोक्ताओं पर अवांछित बोझ है;*

- *यह प्रतिस्पर्धी प्रचालकों की कीमत पर इंकम्बेंट को गैर–आनुपातिक लाभ प्रदान करता है;*

- *यह विवाचन पैदा करता है तथा इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय कॉलों में ग्रे–मार्किट पैदा होगी;*

- *अंतरराष्ट्रीय परियत में एडीसी प्रभारों को हटाने से भारत में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं की और वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है तथा इसके परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की आशा है;*

- *अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, एडीसी प्रणाली को सदैव ही एक ह्रासमान प्रणाली के रूप में प्रारंभ किया गया है, जोकि भारत के संदर्भ में भी प्रासंगिक है;*

- *एडीसी प्रणाली को समाप्त करने से सेवाओं की वहनीयता में वृद्धि होगी;*

- *उपभोक्ता अपने आवक क्लिप में अंतरराष्ट्रीय नम्बरों का समुचित प्रस्तुतीकरण देखने में समर्थ होंगे;*

- *सेवा दायित्व उद्ग्रहण के अनावश्यक उपकरणों की समाप्ति;*

- *चूंकि इंकम्बेंट के लोकोपकारकों को समाप्त किया जाएगा, अतः वे प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे;*

- *बीएसएनएल की भूमिका को वर्णित किया जाना चाहिए अर्थात् क्या वह सार्वजनिक प्रचालक है अथवा निजी प्रचालक। बीएसएनएल एडीसी चाहता है, परंतु वह अपनी अवसंरचना को बांटना नहीं चाहता है;*

- *बीएसएनएल को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं तथा विशेष रूप से वर्ष 2003 के बाद से, वर्ष–दर–वर्ष इसका लाभ बढ़ता ही जा रहा है;*

- *घोषित नीति में किसी परिवर्तन का औचित्य सिद्ध करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः सुझाव दिया गया है कि 01.04.2008 से एडीसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;*

- *यूएसओएफ सभी प्रचालकों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, अतः किसी एक प्रचालक को प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है;*

- *अन्य अनेक राजस्व स्रोत भी वायरलाइन सेवाओं, जैसे ब्रॉडबैंड, इंटरनेट एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं, पर उपलब्ध हैं। बीएसएनएल को अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए अंतिम मील को बंडलरहित बनाकर अधिक राजस्व जुटाना चाहिए।*

दिनांक 01.04.2008 से एडीसी को समाप्त करने के विरूद्ध भी टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। इन टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है:

- *ट्राई इस बात से अवगत है तथा उसने इस बात को माना है कि लागत–आधारित टैरिफ को बुनियादी सेवा में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता चूंकि यह उन्हें गैर–वहनीय और गैर–प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा;*

- *इस बात को समझते हुए, ट्राई ने आज तक भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के टैरिफों को विनियमित करना जारी रखा है, जोकि लागत–आधारित टैरिफों से कहीं नीचे हैं;*

- *इस अवस्था पर, टैरिफों को पुनर्संतुलित करना पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है। टैरिफ को पुनर्संतुलित करने वाली कोई भी कवायद केवल दूरसंचार क्षेत्र को भारत में प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने से पूर्व ही की जा सकती थी, जैसाकि अन्य देशों में किया जा रहा है;*

- *एडीसी आईयूसी का अभिन्न हिस्सा है तथा इसे अलग से समाप्त नहीं किया जा सकता है। एडीसी में कोई भी परिवर्तन करने के लिए पूर्ण आईयूसी प्रणाली में आवश्यक रूप से परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी;*

- *यूएसओएफ तथा एडीसी के उद्देश्य पूर्णतः भिन्न हैं तथा एडीसी को यूएसओएफ में विलयित नहीं किया जा सकता है;*

- *उच्चतर समापन प्रभारों के माध्यम से वायरलैस प्रचालकों को अस्पष्ट आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है;*

- *वायरलाइन सेवाओं में एडीसी की ग्राह्यता तथा इसके जारी रहने के लिए वास्तविक लागत आधार पर नवीन आकलन किए जाने के अविलंब आवश्यकता है;*

- *यहां तक कि आज की तारीख तक, बीएसएनएल की वायरलाइन सेवाओं हेतु वर्ष 2008–09 के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये की एडीसी राशि की आवश्यकता है;*

- *ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बुनियादी सेवाओं के प्रचालनों को केवल बनाए रखने के लिए ही बीएसएनएल को प्रतिवर्ष 8774 करोड़ रुपये की आवश्यकता है;*

- *बीएसएनएल ने एक बार ट्राई द्वारा विनिर्धारित किए गए अनुसार ग्रामीण टैरिफ को 50 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया था, परंतु आम लोक हित को ध्यान में रखते हुए उसे यह वृद्धि वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा;*

- *बीएसएनएल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां टैरिफ अभी तक विनियमित किए जाते हैं, अभी भी वायरलाइन सेवाओं को उनकी वास्तविक लागत से कम की वहनीय दरों पर उपलब्ध कराकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है तथा बीएसएनएल के टैरिफ ट्राई के टैरिफ की तुलना में कम है;*

- *विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेली–घनत्व बुरी तरह से प्रभावित होगा, जिसके कारण डिजिटल अंतर में और भी वृद्धि होगी;*

- *एडीसी के उन्मूलन के कारण वायरलाइन नेटवर्कों की गैर–संपोषणता देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी;*

- *अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी का उन्मूलन केवल विदेशी कैरियरों को लाभ प्रदान करेगा;*

- *ट्राई को इस बात पर विचार करना होगा कि वायरलाइन बुनियादी रूप से दीर्घावधि ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए हैं, वायरलाइन को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता है कि वह मंहगी है;*

- *बीएसएनएल के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 99 प्रतिशत से अधिक कनेक्शन हैं, अतः इसे प्रतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए;*

- *देश को यह बात समझनी होगी कि बीएसएनएल एक बोझ को ढो रहा है, यह उस प्राचीन प्रौद्योगिकी का बोझ है जो वह अपने साथ ढो रहा है;*

- *बीएसएनएल को लागत से कम मूल्य पर सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके द्वारा उपगत संपूर्ण मानक लागत के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए;*

- *बीएसएनएल के पास अवसंरचना एडीसी के कारण ही है। निजी प्रचालक निवेश करने के स्थान पर बीएसएनएल की अवसंरचना का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं;*

- *यह सही नहीं है कि बीएसएनएल भारी लाभ अर्जित कर रहा है। दूरसंचार विभाग से बीएसएनएल में कर्मचारियों के अवशोषण के लिए 3000–4000 करोड़ रु0 खर्च किए गए हैं;*

मुख्य टिप्पणियों की जांच

7. पणधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों के अलावा, प्राधिकरण ने पणधारकों के साथ गैर–औपचारिक बैठकों तथा अन्य उपलब्ध जानकारियों पर भी विचार किया और मामले का आगे विश्लेषण किया। मुख्य मुद्दों पर प्राधिकरण का दृष्टिकोण निम्नानुसार है:–

एडीसी आईयूसी का अभिन्न हिस्सा है

8. ऊपर की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि एडीसी आईयूसी का एक अभिन्न हिस्सा है तथा इसे अलग से समाप्त नहीं किया जा सकता है और एडीसी में कोई परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण आईयूसी प्रणाली में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने इस टिप्पणी का विस्तार से विश्लेषण किया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने दिनांक 24.01.2003 के पहले आईयूसी विनियम में तथा दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के मूल विनियम में दी गई अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों की परिभाषा का भी अवलोकन किया है जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अंतरसंयोजन का आशय है कॉलों के प्रारंभन, संप्रेषण और समापन हेतु नेटवर्क अवयवों के प्रयोग के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा एक अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाने वाला प्रभार। प्रासंगिक परिभाषा नीचे दी गई है

"2(x) "अतःसंयोजन उपयोग प्रभार से अभिप्रेत है – कॉलों के शुरू करने (ओरिजिनेशन), संप्रेषण (ट्रांजिट) और समाप्ति या टर्मिनेशन के लिए नेटवर्क घटकों या संसाधनों के उपयोगार्थ किसी सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे, एक या अधिक, सेवा प्रदाताओं को देय प्रभार।"

अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का आकलन करते समय, फिक्सड लाइन प्रचालकों को दी गई एडीसी के सदृश कोई समायोजन नहीं किया गया था। इसके अलावा, आईयूसी और एडीसी के आकलनों के लिए वस्तुतः एक साथ विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। ये दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम के पैरा 34 के निम्न उद्धरणों से स्पष्टतः प्रतिबिंबित होते हैं।

"चूंकि उपरोक्त डब्ल्यूएसीसी में सरकार द्वारा बीएसएनएल को दी गई रियायतें शामिल हैं। अतः सरकार द्वारा रियायत देने के बावजूद इसके पूरा न होने पर एक्सेस डेफिसिट राशि की गणना करना उपयुक्त होगा। तथापि, कैरेज तथा टर्मिनेशन के लिए लागत आधारित आईयूसी की गणना करने के लिए उपरोक्त डब्ल्यूएसीसी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये अनुमान बीएसएनएल को दी गई रियायतों का समायोजन किए बिना पूर्ण संगत लागतों पर आधारित होंगे। अतः आईयूसी गणना के लिए बीएसएनएल को दी गई रियायतों के प्रभाव के बिना डब्ल्यूएसीसी उपयुक्त पैरामीटर है। अतः संगत लागत आधारित आईयूसी (अर्थात् टर्मिनेशन तथा कैरेज प्रभार) की गणना करने के लिए प्राधिकरण ने बीएसएनएल को दी गई रियायतों का समायोजन किए बगैर डब्ल्यूएसीसी का उपयोग किया।"

[टिप्पणीः उपर्युक्त पैरा में 'डब्ल्यूएसीसी' का अर्थ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है]

9. अतः प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया सिद्धांत यह था कि कॉल को पूरा करने के लिए अपेक्षित नेटवर्क के सभी अवयवों की प्रत्येक लागत को आईयूसी में हिसाब में लिया गया है तथा किराए के कारण एवं कॉलों को वहनीय बनाने के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न होने वाले किसी डेफिसिट को एडीसी में हिसाब में लिया गया। इस प्रकार, एडीसी का प्रयोजन आईयूसी से भिन्न था।

10. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाए कि प्रति मिनट आधारित एडीसी प्रणाली में अधिकतर परिदृश्यों में एडीसी का संदाय बीएसएनएल को किया जाना था, यहां तक कि तब भी, जब बीएसएनएल को कोई भी आईयूसी का भुगतान करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि यह कॉलों की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं था। उदाहरण के लिए, मोबाइल से मोबाइल अंतर्सर्किल कॉलों में, जहां परिभाषित किसी सर्किल में किसी प्रचालक के मोबाइल नेटवर्क में प्रारंभ होता है, उसे एनएलडीओ (बीएसएनएल के अलावा) द्वारा ले जाया जाता है तथा वह किसी अन्य सर्किल में उसी प्रचालक के नेटवर्क में समाप्त होता है, एडीसी का भुगतान बीएसएनएल को किया जाता है, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज किया जाता है कि यह कॉल में शामिल भी नहीं है तथा उसे किसी भी एडीसी का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार, एजीआर आधारित एडीसी प्रणाली के प्रतिशत में, सभी एनएलडीओ एवं आईएलडीओ, बीएसएनएल को एडीसी का भुगतान कर रहे हैं, जबकि इनमें से कुछ वॉयस परिपाट का संप्रेषण नहीं कर रहे हैं तथा उनका बीएसएनएल के साथ अंतरसंयोजन नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण इस तर्क में कोई गुणावगुण नहीं पाता है कि एडीसी आईयूसी का अभिन्न हिस्सा है।

टैरिफ का पुनर्संतुलन

11. इंकम्बेंट, जोकि एडीसी का लाभार्थी है, द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह थी कि बुनियादी सेवाओं के टैरिफों को पुनर्संतुलित करना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक क्योंकि सेल्युलर और डब्ल्यूएलएल मोबाइल सेवाओं की तुलना में लागत आधारित टैरिफ गैर–प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर–वहनीय बन जाएगा। उनकी राय में, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के टैरिफों में कोई भी वृद्धि बनाई नहीं रखी जा सकती है तथा इसके परिणामस्वरूप, टेलीफोनों को वापस किया जाना प्रारंभ हो जाएगा और डिजीटल अंतर बढ़ने लगेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्राई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के टैरिफों को विनियमित करना जारी रखे हुए है, जोकि लागत आधारित टैरिफों से कहीं कम हैं। अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होने के नाते बीएसएनएल ट्राई द्वारा विनिर्धारित टैरिफों से कम टैरिफ पर भी ग्रामीण कनेक्शन प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, वह महसूस करता है कि निःशुल्क स्पेक्ट्रम, उच्च समापन प्रभार तथा लाइसेंस शुल्क में कटौती के संदर्भ में वायरलैस सेवाओं को एक अत्यंत अनुकूल विनियामक परिवेश प्रदान किया गया है, जिससे अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है।

प्राधिकरण ने इंकम्बेंट द्वारा प्रारंभ की गई वायस सेवाओं के संबंध में विभिन्न टैरिफ प्लानों तथा इंकम्बेंट द्वारा वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क पर प्रदान की जा रही सेवाओं की नई श्रेणी का विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए, पंजाब दूरसंचार सर्किल के लिए बीएसएनएल द्वारा बुनियादी टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए आरंभ किए गए "लगे रहो बीएसएनएल दे नाल"

टैरिफ प्लान के अनुसार, उपभोक्ता बीएसएनएल के अन्य सभी बुनियादी टेलीफोनों पर असीमित कॉलें करने में समर्थ होंगे। इसके अलावा, बीएसएनएल के मोबाइल फोन के लिए ऐसे बुनियादी टेलीफोनों से की जाने वाली सभी कॉलों हेतु मौजूदा पल्स 60 सेकेंड के स्थान पर 180 सेकेंड की होगी। अतः कुछ क्षेत्रों में बीएसएनएल एक श्रेष्ठ अगुआ के रूप में उभर रहा है तथा वह लैंडलाइन की महत्वपूर्ण बाजार शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी मोबाइल सेवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। यह प्रति–सहायता उद्योग में एक पारंपरिक व्यवहार है तथा अधिकांश सेवा प्रदाता इसका किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, फिक्सड और मोबाइल, दोनों ही सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं देकर अपने राजस्व में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसएनएल के मामले में भी, यह भी देखा गया है कि वह अब उसी तर्ज पर वॉयस, इंटरनेट सेवाएं तथा आईपीटीवी (अर्थात् ट्रिपल प्ले) प्रदान करने की योजना बना रहा है, जिससे वायरलाइन सेवाओं के औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू) में वृद्धि होगी। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि बीएसएनएल राजस्व के नए स्रोत खोलने में समर्थ है जिसका कि वही प्रभाव होगा जोकि वायरलाइन एक्सेस की लागत की वसूली करने की उन्हें अनुमति प्रदान करने में पुनर्संतुलन का होगा।

एडीसी की ग्राह्यता तथा यूएसओ से समर्थनः

12. प्राधिकरण ने कुछ पणधारकों के इस तर्क की जांच की कि यूएसओएफ और एडीसी के उद्देश्य पूर्णतया भिन्न हैं तथा एडीसी को यूएसओएफ के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। प्राधिकरण ने एडीसी एवं यूएसओ प्रणालियों के बारे में एक महत्पूर्ण स्पष्टीकरण का स्मरण किया, जोकि दिनांक 06.01.2005 के दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है, जिसमें इस बात को मान्यता दी गई थी कि हालांकि वे दोनों पूरी तरह से समान नहीं है, यूएसओ और एडीसी प्रणालियों के उद्देश्यों में पर्याप्त परस्परव्याप्ति है। यह भी नोट किया गया कि प्राधिकरण ने पहले ही कहा है आने वाले समय में एडीसी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा तथा आगे कोई भी अन्य सहायता यूएसओ प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। एडीसी राशि का आकलन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए गए ढांचे में यूएसओ तथा एडीसी प्रणालियों को एकीकृत रूप से इस प्रकार जोड़ा गया है कि जैसे–जैसे यूएसओ निधि से सहायता बढ़ती है, एडीसी की राशि कम होती जाती है। इस संबंध में प्राधिकरण ने भारतीय तार (संशोधन अधिनियम), 2006 (2006 का 57) में सार्वभौमिक सेवा दायित्व की परिभाषा का भी अवलोकन किया है "सार्वभौमिक सेवा दायित्व से अभिप्रेत है ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को वहनीय और युक्तिसंगत मूल्यों पर तार सेवाओं तक पहुंच प्रदान कराने का दायित्व।" इस परिभाषा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्रामीण वायरलाइन सेवाओं के अनुरक्षण के लिए यूएसओ निधि के प्रयोग के संबंध में इस परामर्श के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा की जा रही सिफारिशें तार अधिनियम में दी गई यूएसओ की बुनियादी परिभाषा के अनुरूप हैं। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यूएसओ निधि की स्थापना यूएसओ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक समाप्त न होने वाली निधि के रूप में की गई है तथा इसमें प्राधिकरण द्वारा अनुबंध I के अनुसार की गई सिफारिशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता है।

13. पूर्व के अवसरों की भांति, बीएसएनएल ने एडीसी के रूप में 14,000 करोड़ रुपये की पुनः मांग कर दी है। प्राधिकरण को स्मरण है कि जब यह आवश्यकता वर्ष 2003 में उठाई गई थी, तो उस समय मूल विनियम में एड़ीसी का आकलन ऐतिहासिक लागत आंकड़े के आधार पर बीएसएनएल के साथ परामर्श करते हुए किया गया था तथा अनुमानित अनुमेय राशि लगभग 4800 करोड़ रुपये बनी थी। इसे मूल विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 24 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, जोकि इस प्रकार है:–

"24. प्राधिकरण ने यह देखा कि विगत की लागतों एवं विकासोन्मुख लागतों (फारवर्ड लुकिंग कास्ट्स) के बीच अंतर बढ़ जाएगा और केवल लागत आधारित आधुनिक तथा विकासोन्मुख (फारवर्ड लुकिंग) प्रौद्योगिकियों पर आश्रित रहने से बीएसएनएल की स्ट्रेन्डेड लागतों से काफी अधिक बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एक एफएलएलआरआईसी मॉडल में परिवर्तन करना अत्यावश्यक है तथापि प्राधिकरण ने धीरे–धीरे परिवर्तन के बजाय, एकाएक परिवर्तन संबंधी विपक्षाओं की जांच की। चूंकि बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता या सप्लायर है और इसने ग्रामीण टेलिघनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक योगदान दिया है और यह कम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का हिमायती है, इसलिए इस समय एफएलएलआरआईसी मॉडल में परिवर्तन न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा बल्कि पूरे देश के दूरसंचार उद्योग पर भी इसका असर होगा। प्राधिकरण को यह पता है कि बीएसएनएल अपने विस्तार कार्यक्रम में आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कम लागत वाले उपस्कर पहले से ही लगा रहा है। चूंकि बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है इसलिए यह संभावना है कि मौजूदा नेटवर्कों में से कुछ नेटवर्क धीरे–धीरे इन उपस्करों से बदले जाएंगे। संक्षेप में, यह कार्य एक वर्ष के बजाय कुछ वर्षों में धीरे–धीरे एफएलएलआरआईसी मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। बाद में भारी स्ट्रेन्डेड लागत देनी पड़ेगी और यह बहुत अव्यवहारिक हो जाएगा। इसलिए प्राधिकरण ने चालू वर्ष के लिए यथासंभव हाल ही के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित लागतों का सहारा लेने का निर्णय लिया। इस प्रयोजनार्थ, इसने आरंभ में आईयूसी कार्य के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों के बजाय नवीनतम आंकड़ों का उपयोग किया। प्राधिकरण का यह विचार है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उपस्कर की लागतों में तेजी से हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए एडीसी के लिए अपेक्षित वित्तपोषण की राशि में कमी आएगी। इसलिए समय के साथ–साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है। इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी के बजाय अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है।"

14. वर्तमान में, सरकार राजस्व शेयर लाइसेंस शुल्क के भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत के तौर पर यूएसओ राशि संग्रहित कर रही है। 01.4.2004 से पहले, यूएसओएफ 01.4.2002 से पूर्व स्थापित सभी ग्रामीण वायरलाइनों को समर्थित करती थी, तथा यह उस समय बंद कर दी गई जब एडीसी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध हो गया। वर्तमान नीति के अनुसार, यूएसओएफ का प्रयोग नई लाइनों और नई अवसंरचना के लिए किया जा रहा है। तथापि, यह देखा गया है कि निधि का उपयोग संग्रहण की तुलना में कहीं कम है।

एक बार 'जब एडीसी समाप्त कर दिया जाएगा, इन गैर–लाभकारी ग्रामीण लाइनों को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए इन्हें सहायता की आवश्यकता होगी।

15. उक्त संदर्भ में, प्राधिकरण दिनांक 23 फरवरी, 2006 के आईयूसी विनियम के पैरा 3 में दर्शाता है कि "प्राधिकरण इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ताकि अंततः यूएसओ प्रणाली एडीसी के कारण अपेक्षित सहायता का ध्यान भी रखे।" ट्राई ने अपने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के पत्र तथा दिनांक 22 नवम्बर, 2006 और 27 दिसम्बर, 2007 के अनुस्मारकों (पत्रों की प्रतियां अनुबंध I में सिफारिशों के साथ संलग्न हैं) द्वारा पहले ही दूरसंचार विभाग को सूचित कर दिया है कि दूरसंचार विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्यवाही पर विचार करे कि एडीसी एक ह्रासमान प्रणाली है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान परामर्श–पत्र में एडीसी एवं यूएसओ की भूमिका पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। यह उल्लेख किया गया था कि ट्राई एडीसी को समाप्त करने तथा ग्रामीण वायरलाइनों को समर्थन देने की जिम्मेवारी यूएसओएफ द्वारा ग्रहण करने का प्रस्ताव दो कारणों से, प्रथमतः भारतीय दूरसंचार बाजार में तंत्र के घोषित कुप्रभावों द्वारा एडीसी के सकारात्मक फॉलआउट के प्रभावों तथा उपभोक्ताओं पर अकारण बोझ पैदा करने को टालने के लिए कर रहा है। दूसरे, शहरी–ग्रामीण अंतर को कम करने और इंकबेंट के ग्रामीण प्रचालनों के अनुरक्षण के लिए चिंता के कारण यूएसओएफ से सहायता जारी रखना वांछनीय है। ग्रामीण प्रचालन को बनाए रखना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना न केवल शहरी–ग्रामीण अंतर को कम करने के लिए अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन पर ब्रॉडबैंड सेवाओं की सुचारू शुरूआत और प्रचार–प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः प्राधिकरण ने दिनांक 25.1.2008 के पत्र के माध्यम से परामर्श–पत्र की एक प्रति दूरसंचार विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की थी (पत्र की प्रति अनुबंध I में सिफारिशों के साथ संलग्न है)।

16. इस सबंध में, प्राधिकरण ने बीएसएनएल के निवेदनों को भी ध्यान में रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बुनियादी सेवाओं को बनाए भर रखने के लिए बीएसएनएल को अभी भी प्रतिवर्ष 8774 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। जबकि ट्राई ग्रामीण क्षेत्रों में यूएसओएफ के माध्यम से बीएसएनएल के फिक्सड लाइन नेटवर्क को समर्थन देने का समर्थक है, तथापि, वित्तीय सहायता की इस राशि, जिसका आकलन बीएसएनएल ने कुछ धारणाओं के आधार पर किया है, की आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी वास्तविक आंकड़े पर पहुंचा जा सके। इस बात का वर्णन यूएसओएफ द्वारा ग्रामीण वायरलाइन के लिए सहायता प्रदान करने वाले उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के बारे में सरकार को की गई सिफारिशों में कर दिया गया है जो इन विनियमों के साथ–साथ ही सरकार को प्रेषित की जा रही हैं। आर्थिक सहायता की पद्धति में कोई ऐसा परिवर्तन करने के लिए यूएसओ नियमों में परिवर्धन किए जाने की आवश्यकता होगी तथा यह प्राधिकरण द्वारा सरकार के साथ किए गए पूर्व के पत्र–व्यवहार के अनुरूप होगा, जिसमें ट्राई ने उल्लेख किया था कि यदि कम लागत वाले किरायों तथा स्थानीय कॉल प्रभारों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन को 2007–08 के बाद भी आगे किसी सहायता की आवश्यकता होती है, तो इसे यूएसओएफ के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

समापन प्रभार

17. बीएसएनएल ने आगे तर्क दिया है कि उच्च समापन प्रभार के माध्यम से वायरलैस प्रचालकों को अस्पष्ट आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा इसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने 29.10.2003 को जारी मूल विनियमों की जांच की जिनमें फिक्सड लाइन और मोबाइल के लिए समापन प्रभार नियत किए गए थे। यह पाया गया है कि दिनांक 29.10.2003 के अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि बीएसएनएल के लिए लागत आधारित समापन प्रभार 0.23 रुपये प्रति मिनट अनुमानित किया गया है। प्रासंगिक पैरा नीचे दोहराया गया है:–

"(झ) फिक्सड लाइनों के लिए काल टर्मिनेशन या समापन की लागत

78. जिस क्रियाविधि का हमने पहले उल्लेख किया है, उसके आधार पर बीएसएनएल के निमित्त, लागत आधारित समापन प्रभार अनुमानतः 0.23 रुपए प्रति मिनट बैठता है। यही प्राक्कलन पिछली बार भी निकले थे। सबके लिए समान समापन प्रभार के निर्णय को देखते हुए – क्योंकि उससे प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यवस्था में विसंगतियां कम होंगी और कार्यान्वयन आसान होगा – प्राधिकरण ने सभी प्रकार की कॉलों के लिए 0.30 रुपए का समापन प्रभार निर्धारित किया है। जैसा ऊपर उल्लेख है, लागतों से राजस्व के अधिक्य के कारण, फिक्सड लाइन (बीएसएनएल) को मिलने वाले या उपचित अतिरिक्त राजस्व को एक्सेस डेफिसिट की गणना में लिया गया है, अर्थात इस राजस्व में एक्सेस डेफिसिट का समायोजन शामिल है।"

जहां तक मोबाइल समापन प्रभारों का संबंध है, सेल्युलर मोबाइल के लिए समापन प्रभार महानगरों के लिए 0.26 रु0 तथा सर्किलों के लिए प्रति मिनट 0.30 रु0 है। प्रासंगिक पैरा नीचे दोहराया गया है:

'80. उपर्युक्त प्राक्कलनों के आधार पर, सेल्युलर मोबाइल के लिए टर्मिनेशन प्रभार, मेट्रो या महानगरों में 0.26 रुपए प्रति मिनट, और सर्किलों में 0.30 रुपए प्रति मिनट बैठता है। अतः सेल्युलर मोबाइल के निमित्त 0.30 रुपए का टर्मिनेशन प्रभार लागू किया जा सकता है।

18. एक सरलीकृत आईयूसी प्रणाली स्थापित करने तथा प्रचालकों के बीच सामंजस्य में विवादों का निवारण करने के लिए, प्राधिकरण ने समान समापन प्रभार विनिर्दिष्ट किए थे। एक सामान्य समापन प्रभार के लिए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, एक्सेस डेफिसिट का आकलन करने के लिए राजस्व के लागत से अधिक हो जाने के कारण फिक्सड लाइन को प्रोदभूत अतिरिक्त राजस्व को हिसाब में लिया गया है तथा इस राजस्व को हिसाब में लेने के लिए डेफिसिट का अधोमुखी समायोजन किया गया है।

19. दिनांक 17.03.2006 को जारी परामर्श–पत्र के माध्यम से समापन प्रभारों की आगे और समीक्षा की गई जिसमें कैरिएज प्रभार, समापन प्रभार और एक्सेस डेफिसिट प्रभार शामिल थे। परामर्श प्रक्रिया के और आंतरिक चर्चा के पश्चात प्राधिकरण ने इस विषय पर विचार–विमर्श किया तथा मोबाइल और फिक्सड समापन प्रभार, दोनों के लिए ही उन्हें समान

रखने का निर्णय किया। इन्हें समान स्तर पर रखने के विस्तृत कारण दिनांक 23.02.2006 के आईयूसी विनियम में दिए गए हैं। प्रासंगिक पैरा नीचे दोहराया गया है:–

"ज) मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार और फिक्सड लाइन टर्मिनेशन प्रभार

58. टैरिफ कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण, संभावना है कि टर्मिनेशन प्रभार, विशेषकर मोबाइल सेवाओं के, कम हो सकते हैं। प्राधिकरण ने यह भी अनुमान लगाया है और पाया है कि मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभार 0.3 रुपए प्रति मिनट के मौजूदा विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो सकते हैं इसके बावजूद प्राधिकरण ने मुख्यतया निम्नलिखित कारणों के कारण मोबाइल टर्मिनेशन प्रभारों तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभारों में कमी नहीं की है।

i) सब्सक्राइबरों की बढ़ती वृद्धि के साथ रेडियो उपकरण क्षमता तथा स्विचिंग एवं ट्रांसमिशन रेडियो उपकरण दोनों की क्षमता के अनुसार नेटवर्क के क्षमता में वृद्धि भी करनी पड़ती है। यदि क्षमता में संयोजन सब्सक्राइबरों की वृद्धि से मेल नहीं खाता है तो सेवा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है जो विनियामक की चिन्ता का विषय होता है। विनियामक आशा करता है कि इस वृद्धि के साथ–साथ सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता इस प्रकार बढ़ाएं जिससे सेवा की गुणवत्ता में कमी न आए। जिनकी विभिन्न पैरामीटरों की आवश्यकता अब तक महसूस किया जा रही थी जिसे ट्राई ने 8 जुलाई, 2005 के सेवा की गुणवत्ता में निर्धारित किए हैं।

ii) भारत में मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार न केवल फिक्सड टर्मिनेशन प्रभारों के समान हैं वे एक यू.एस. सेन्ट प्रतिमिनट से भी कम है, जो संसार में न केवल सबसे कम है बल्कि यह दुनिया के दूसरे देशों में प्रचलित मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार से भी 12 से 24 गुणा कम हैं (नीचे तालिका में दर्शाया गया है)। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि सभी देशों में मोबाइल के उपकरण समान वेंडरों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं।

iii) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है भारत में जनसंख्या के आधार पर मोबाइल कवरेज जनसंख्या का केवल 35% है जो संसार में सबसे कम है और मोबाइल ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ानी है इसलिए देश की जनसंख्या के 77 % तक (संसार का औसत) को कवर करने के लिए भी बहुत अधिक निवेश किया जाना है। जैसे की नेटवर्क दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचेगा इसके साक्ष्य नजर आने लगेंगे।

iv) विभिन्न ऐसी नूतन तथा प्रतिस्पर्धी टैरिफ योजनाओं जिसमें इनकमिंग कॉल का उच्चतर तत्व हो, से मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या में भारी वृद्धि संभव है। यदि मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार घटाई जाती है तो इन टैरिफ योजनाओं की अर्थव्यवस्था तथा इनके बने रहने की क्षमता संभव नहीं हो सकती है। इससे देश में मोबाइल सब्सक्राइबरों की वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि यहां प्राधिकरण को मुख्य सरोकार टैरिफ योजनाओं की व्यवहारिकता सुनिश्चित करना नहीं है क्योंकि यह गैर–वित्तीय टैरिफ प्रणाली में सेवा प्रदाता का मुख्य दायित्व है परन्तु प्राधिकरण का दायित्व देश में उच्चतर वृद्धि तथा टेलीघनत्व प्राप्त करना है इसलिए यह चिन्ता का विषय है।

तालिका–11 विभिन्न देशों में मोबाइल सेवाओं के लिए प्रतिमिनट उपयोग के अनुसार कॉल प्रभार, एआरपीयू तथा टर्मिनेशन की दरें (जून 2004)

देश का नाम	प्रतिमिनट टर्मिनेशन दरें	
	फिक्सड	मोबाइल
	(US$)	(US$)
आस्ट्रेलिया	0.016	0.152
ब्राजील	0.020	0.080
चीन	0.010	0.025
स्विटजरलैंड	0.017	0.163
जापान	0.022	0.130
भारत	0.007	0.007

59. इसके अलावा विश्व बैंक (इन्फोडिव डिवीजन) ने प्रतिस्पर्धा, अन्तरसंयोजन तथा कीमतों को विनियमित करने से संबंधित रिपोर्ट में 23 दिसम्बर, 2005 को निम्नलिखित का उल्लेख किया:

> *"सी–मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार, मोबाइल की पैठ तथा सार्वभौम सेवा के लक्ष्य–विकासशील देश जहां इसकी पैठ कम है, वे मोबाइल टर्मिनेशन प्रभारों की लागत से ज्यादा के टर्मिनेशन दरों पर मोबाइल सेवाओं का और विस्तार करने को बढ़ावा देने तथा बाजार तथा विनियामक शक्तियों द्वारा मोबाइल टर्मिनेशन दरों को कम करने के दबाव के बीच तनाव की स्थिति में हैं। यह कम से पैठ वाले बाजार में विशेषकर सही है जहां मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार को लागत से ज्यादा रखने का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक औचित्य है ताकि सभी सेवाओं (बेसिक और हैंडसेट) तथा मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल से फिक्सड कॉलों के लिए क्रास सब्सिडी.. बहरहाल अधिकांश विकासशील देशों में जहां लैंड लाइन की प्रसार की व्यापकता काफी कम है वहां मोबाइल टेलीफोन उन देशों को जनसंख्या के उस भाग के लिए सार्वभौम सेवा के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव करना है जहां पहले लैंड लाइन तथा दूसरे संचार साधन पहले कभी नहीं पहुंचे थे। विकासशील देशों की उच्च आय वर्ग वाली जनसंख्या मोबाइल टेलीफोनी के पहले चरण में ही उसका प्रसार हो जाता है। मोबाइल उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार कम आय वर्ग में इसकी पैठ बढ़ाना है और इस वर्ग से ही विकासशील देशों में इस उद्योग का विकास होता है। मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार कम करने के लिए किसी भी प्रकार के विनियामक हस्तक्षेप में अन्तरसंयोजन राजस्व जिसे हैंडसेट की कीमतों के क्रास सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है (अर्थात् अधिक गरीब जनता तक नेटवर्क की अभिगम्यता) तथा कम प्रभारों पर मिलने वाले लाभों की तुलना में आउटगोइंग मोबाइल की कीमतों से प्राप्त लाभ पर विचार किया जाना चाहिए।"*

इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि टर्मिनेशन प्रभारों की समीक्षा न की जाए तथा इसे मोबाइल तथा फिक्सड दोनों के लिए

टर्मिनेशन प्रभारों को समान रखने का निर्णय लिया। प्राधिकरण आशा करता है कि मोबाइल सेवा प्रदाता अपना प्रसार ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ाएंगे तथा प्राधिकरण इस संबंध में उनकी प्रगति पर नजर रखता रहेगा।"

20. अतः प्राधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि इसने वर्ष 2006 में मोबइल समापन तथा फिक्सड समापन प्रभारों के मुद्दे पर पहले ही विचार–विमर्श कर लिया है। वर्तमान परामर्श प्रक्रिया केवल एक्सेस डेफिसिट प्रभारों तक सीमित थी तथा समापन प्रभारों की समीक्षा इसकी कार्यसूची में शामिल नहीं थी।

अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को समाप्त करना

21. बीएसएनएल ने यह तर्क भी दिया है कि एडीसी के उन्मूलन से मुख्य रूप से विदेशी कैरियर लाभ उठाएंगे, जोकि उनके देशों से उनके द्वारा ले जाई जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर 1 रुपया प्रति मिनट बचाएंगे, जो प्रति वर्ष 1,200 करोड़ मिनट बनता है। उन्होंने आगे यह तर्क भी दिया है कि इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, जबकि दूसरी ओर वर्ष 2008–09 में चालू दर पर अनुमानित एडीसी 2,000 करोड़ रुपये होगा और यह घाटे पर चल रहे ग्रामीण प्रचालनों को सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़ा सहारा उपलब्ध कराएगा।

22. प्राधिकरण ने बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रस्ताव की जांच की तथा यह पाया कि अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों पर एडीसी को सदैव ही विवाचन का स्रोत माना गया है जोकि प्रतिकूल बाजार प्रचालनों को प्रोत्साहन देता है। अतः एडीसी को समाप्त करना वैध मार्गों से आने वाली सभी कॉलों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और सेवा प्रदाता के राजस्व में वृद्धि करेगा। प्राधिकरण के पास उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आईपी की तुलना में वॉयस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मिनटों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों में उपलब्ध लचीलेपन का लाभ प्राप्त करने के लिए स्विच्ड टेलीफोनी हेतु उपलब्ध विवाचन को कम किया जाए।

23. यह एक तथ्य है कि समय–समय पर अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों पर एडीसी की कटौती ने अंतरराष्ट्रीय मिनटों में उपलब्ध लचीलेपन का दोहन किया है तथा वैध मार्गों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। तथापि, इस अवस्था पर प्राधिकरण को दो प्रमुख उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करना होगा अर्थात् बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ग्रामीण फिक्सड लाइनों के लिए सहायता प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों में उपलब्ध विवाचन में कमी करना। यह स्वीकार किया जाता है कि आवक अंतरराष्ट्रीय मिनटों के लिए एडीसी दर में कटौती ग्रे–मार्किट को और निराश करेगी तथा वैध मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मिनटों को प्रोत्साहित करेगी। जैसाकि पहले कहा गया है, प्राधिकरण एडीसी को समाप्त करने के बाद ग्रामीण वायरलाइन प्रचालनों के लिए बीएसएनएल को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मामले को निरंतर दूरसंचार विभाग के साथ उठा रहा है। अतः यह माना गया है कि सरकार की ओर से कुछ तैयारी पहले ही कर ली गई होगी। तथापि, प्राधिकरण इस बात से आश्वस्त है कि योजना, लेखांकन, बजटीय प्रस्ताव, संसदीय अनुमोदन आदि में कुछ समय लगेगा तथा, इसी लिए इसकी राय है कि

इस संक्रमण अवधि के लिए आवक आईएलडी कॉलों पर एडीसी के माध्यम से बीएसएनएल को आंशिक सहायता जारी रहनी चाहिए। प्राधिकरण ने 6 माह की और अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक प्रति मिनट 0.50 रु0 (पचास पैसे केवल) की दर से आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी जारी रखने का निर्णय लिया है। यह राशि वर्ष 2008–09 के लिए यूएसओएफ से दी गई आर्थिक सहायता से समायोजित नहीं की जाएगी। यह बीएसएनएल के लिए अतिरिक्त सहायता होगी।

अपेक्षित आर्थिक सहायता का आकलन

24. पूर्व के संशोधनों में, प्राधिकरण ने यह राय व्यक्त की थी कि एडीसी का विस्तृत आकलन 2003 में किया गया था तथा बाद के वर्षों में यह ह्रास के स्थापित सिद्धांत के अनुसार नीचे आ जाएगी और इसे समाप्त कर दिया जाएगा तथा इसे 2008–09 तक यूएसओ निधि द्वारा यह जिम्मेदारी ग्रहण कर ली जाएगी। प्राधिकरण दोनों ही बातों से संतुष्ट है कि एडीसी को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है तथा साथ ही फिक्सड ग्रामीण नेटवर्क प्रचालनों को यूएसओ निधि के माध्यम से सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ट्राई ने प्रचालन लागत और राजस्व प्रोद्भूतों का तथा इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए आंकडे से ग्रामीण क्षेत्र में उनके वायरलाइन प्रचालनों के लिए इंकम्बेंट द्वारा उपगत घाटों का मूल्यांकन किया है। इन सभी मूल्यांकनों का ब्यौरा सरकार को की गई सिफारिशों में दिया गया है जिन्हें इन विनियमों के जारी किए जाने के साथ ही भेजा जा रहा है।

प्राधिकरण का निर्णय

25. प्राधिकरण दृढ़ मत है कि एडीसी एक ऐसा उपकरण है जिसका किसी इंकम्बेंट को एकाधिकारप्राप्त व्यवस्था से प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में अपने फिक्सड लाइन प्रचालनों को बनाए रखते हुए आसानी से अंतरित करने की अनुमति प्रदान करने में सकारात्मक प्रभाव होता है। यह भी विदित है कि दीर्घकालिक एडीसी ग्राहकों पर परिहार्य बोझ डालती है, बाजार में विकृति पैदा करता है, अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए ग्रे–मार्किट को उत्पन्न करता है तथा यदि इसे एक लंबे समय तक जारी रखा जाता है, तो यह सेवाओं के अभिनवीकरण के लिए एक रूकावट है। इस प्रकार एडीसी एक दोधारी तलवार है जिसका प्रयोग अत्यंत विवेक के साथ और एक उपयुक्त अवधि तक ही किया जाना चाहिए। अतः इसे एक ह्रासमान व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसे अंततः समाप्त कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2008–09 तक इसे यूएसओ द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। प्राधिकरण ने अब नीचे किए गए वर्णन के अनुसार एडीसी का उन्मूलन करने का निर्णय किया है तथा ग्रामीण वायरलाइन प्रचालनों के लिए आर्थिक सहायता यूएसओएफ से जारी रखने की सिफारिश की है।

26. एडीसी को समाप्त करने पर ऊपर चर्चा की गई है। एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को 1.4.2008 को समाप्त कर दिया जाएगा।

27. निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तथा एडीसी से यूएसओ को आर्थिक सहायता के परिवर्तन की इस अवधि के दौरान कुछ निश्चित समर्थन को आकलित करने हेतु दूरसंचार विभाग को समय प्रदान करने में लिए प्रति मिनट 0.50 रु0 (पचास पैसे केवल) की दर से 6 माह अर्थात् 1 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक की और अवधि के लिए आवक आईएलडी कॉलों पर एडीसी के माध्यम से बीएसएनएल को सहायता।

IV. परामर्श–पत्र में अन्य मुद्दे

मुद्दा 2: बीएसएनएल वायरलाइन ग्रामीण नेटवर्क के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान करना

28. यह मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के वायरलाइन प्रचालनों के लिए उसे यूएसओएफ से सहायता उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहायता की राशि का निर्णय करने से संबंधित है। पणधारकों की टिप्पणियों से यह स्पष्ट था कि बीएसएनएल को यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के विचार पर आम सहमति बनी हुई थी। तथापि, बीएसएनएल ने यह राय व्यक्त की थी कि एडीसी को यूएसओ के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए तथा दोनों ही उपलबध रहने चाहिए। तथापि, उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण वायरलाइन सेवाओं के लिए सहायता यूएसओएफ से प्रदान की जानी है, तों सरकार द्वारा यूएसओ की नीति में संशोधन किए जाने अपेक्षित होंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि एडीसी को समाप्त किए जाने से पूर्व वास्तविक लागत आधार पर अपेक्षित राशि के भुगतान यूएसओ निधि से प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएं।

29. प्राधिकरण ने इस मामले पर व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया है। उपयुक्त आकलन किए गए हैं तथा यूएसओ के नियमों की जांच की गई है। प्राधिकरण ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि बीएसएनएल को फिक्सड ग्रामीण लाइनों के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान की जानी चाहिए जोकि एडीसी को वापस लेने के पश्चात गैर–समर्थित रह जाएंगी। इसके लिए ढांचे को सरकार को भेजी जा रही सिफारिशों में विस्तार से दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि सरकार योजना, बजट प्रस्ताव तैयार करने, बजटीय आबंटन प्राप्त करने तथा यूएसओएफ से आर्थिक सहायता का प्रचालन करने के लिए कुछ समय ले सकती है, अतः उसने ऊपर दिया गया निर्णय लिया है, ताकि निधि के प्रवाह में निरंतरता को बनाए रखा जा सके। 01 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी के माध्यम से संदत्त राशि यूसएओएफ से संदेय राशि से समायोजित नहीं की जाएगी।

30. दूरसंचार विभाग को इस संबंध में भेजी गई सिफारिशें अनुबंध I पर हैं।

मुद्दा 3: एडीसी को समाप्त करने के मद्देनजर नए सब्सक्राइबरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

31. प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान का अधिदेश करने के मुद्दे की भी जांच की है। यहां मत में विभाजन हो गया क्योंकि व्यापार संघ और सेवा प्रदाता प्रभारों की इस कटौती के पक्ष में नहीं थे, जिसका कारण यह था कि

ग्रामीण क्षेत्र में वितरण की लागत अधिक है, अतः इसके दुरूपयोग की संभावना रहेगा तथा मोबाइल टैरिफ में स्थगन नीति जारी रहनी चाहिए। उपभोक्ता संघ ऐसी कटौती का अधिदेश जारी करने के पक्ष में थे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को अधिक वहनीय बनाया जा सके।

32. विश्लेषण दर्शाता है कि पूर्व के वर्षों में एडीसी की कटौती ने सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई है परंतु इस कटौती तथा कम टैरिफों द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो सका है। एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को समाप्त करने के वर्तमान निर्णय के कारण सेवा प्रदाता वर्ष 2008–09 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की धनराशि अपने पास रखेंगे। प्राधिकरण ने नोट किया है कि यदि यह राशि सभी मोबाइल सब्सक्राइबरों को पूरी तरह अंतरित भी कर दी जाती है, तो लाभ का विस्तार बहुत ही कम होगा तथा यह व्यवहार्य विकल्प भी नहीं होगा। अतः प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि वे ग्रामीण टेली–घनत्व को बढ़ाने और ग्रामीण–शहर अंतर को कम करने के लिए ग्रामीण सब्सक्राइबरों को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु अभिनव एवं आर्कषक योजनाएं प्रारंभ करें। प्राधिकरण अपेक्षा करता है कि सेवा प्रदाता वर्ष 2008–09 को ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ में वृद्धि के वर्ष के रूप में घोषित करें।

33. प्राधिकरण ने 01.04.2008 से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व पर एडीसी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, एडीसी अब से घरेलू क्षेत्रों में लागू नहीं रहेगी तथा सभी घरेलू कॉलें एडीसी के तत्व से मुक्त होंगी। प्राधिकरण का यह प्रयास रहा है कि वह ऐसा ढांचा विकसित करे जो उपभोक्ताओं को उस समय सकारात्मक लाभ सुनिश्चित कराए जब घरेलू क्षेत्र से एडीसी को समाप्त कर दिया गया है। परामर्श के दौरान, टिप्पणियों के लिए रखा गया तीसरा मुद्दा ग्रामीण मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए प्रवेश प्रभारों में संभावित कटौती सहित सकारात्मक विशेषताएं शामिल करने से संबंधित था। प्राधिकरण ने इस बारे में दूरसंचार संघों अर्थात एयूएसपीआई, सीओएआई तथा साथ ही सेवा प्रदाताओं के साथ अनेक बार परामर्श किया। इस संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की कम पैंठ के बारे में प्राधिकरण की चिंता को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया था। प्राधिकरण द्वारा एक अन्य विकल्प पर भी सक्रिय रूप से विचार किया गया, जो नए ग्रामीण सब्सक्राइबरों के प्रारंभिक व्ययों को कम करने से संबंधित था। दो दूरसंचार संघों ने आश्वासन दिया है कि वे अपने सदस्यों के साथ सक्रिय परामर्श कर रहे हैं तथा वे एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ताओं के लिए किसी रचनात्मक प्रस्ताव के साथ उपस्थित होंगे। वे विशेष रूप से ग्रामीण दूरसंचार सब्सक्राइबरों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले किसी भी प्रति–सक्रिय उपाय को आस्थगित किया जाना चाहिए तथा प्राधिकरण पहले दूरसंचार कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा। तथापि, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं से आग्रह करता है कि ग्रामीण उपभोक्तओं के लिए किसी भी दशा में उपयुक्त उपाय प्रारंभ किए जाएं ताकि वर्ष 2008–09 को "ग्रामीण टेलीफोनी का वर्ष" बनाया जा सके। इसलिए, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि वे ग्रामीण सब्सक्राइबरों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अभिनव और आर्कषक योजनाएं प्रारंभ करें ताकि यह स्पष्ट रूप से यह संदेश प्रसारित करे कि वर्ष 2008–09 ग्रामीण पैठ में पर्याप्त वृद्धि करने और डिजिटल अंतर कम करने का वर्ष है। वर्ष 2008–09 अपेक्षा करता है कि किसी भी दशा में ग्रामीण उपभोक्ता के लिए उपयुक्त उपाय प्रारंभ किए जाएं ताकि वर्ष 2008–09 अपेक्षा करता है कि किसी भी दशा में ग्रामीण

उपभोक्ता के लिए उपयुक्त उपाय प्रारंभ किए जाएं ताकि वर्ष 2008–09 को "ग्रामीण टेलीघनत्व में निरंतर वृद्धि का वर्ष" बनाया जा सके। प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि "आओ ग्रामीण टेलीफोनी को और आगे बढ़ाएं" के नारे को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके।

मुख्य निर्णयों का सार

1. एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को 1.4.2008 को समाप्त किया जाएगा।

2. अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों पर एडीसी 1 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 की अवधि के लिए 0.50 रु0 (पचास पैसे केवल) की दर से जारी रहेगी।

3. बीएसएनएल के ग्रामीण वायरलाइन प्रचालनों के लिए यूएसओएफ से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी जा रही हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आर्थिक सहायता की राशि का अनुमान 2000 करोड़ रुपये लगाया गया है।

4. प्राधिकरण ग्रामीण मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए प्रवेश प्रभारों में संभावित कटौती सहित सकारात्मक विशेषताओं के अधिष्ठापन से संबंधित दूरसंचार कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात कोई प्रति–सक्रिय उपाय करने पर निर्णय लेगा।

अनुबंध–1

एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर 01.04.2002 से पूर्व स्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को यूएसओएफ से सहायता के लिए सिफारिश।

एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर 01.04.2002 से पूर्व स्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए यूएसओएफ से सहायता पर सिफारिश

प्रस्तावना

1. दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच विकास और वृद्धि की कुंजी है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी 1999) में वर्णित है कि: *"दूरसंचार की सुलभ पहुंच देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार व्यवस्था की उपलब्धता दूरसंचार नीति का केन्द्रीय दृष्टिकोण है।"* सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी) उन लोगों को नए एवं रोमांचक अवसर प्रदान करती हैं, जिनकी उन तक पहुंच है। तथापि, यदि एक्सेस का वितरण असमान रूप से किया जाएगा तो मौजूदा असंतुलन और सामाजिक असमानताएं गहरा जाएंगी। अतः ग्रामीण तथा शहरी डिजिटल अंतर को बढ़ने से रोकने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने आवश्यक हैं।

2. वर्तमान में, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) सार्वजनिक और सामुदायिक टेलीफोनों के माध्यम से जनता की एक्सेस तथा चिह्नित निवल उच्च लागत ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों में वैयक्तिक कुटुम्ब टेलीफोनों के प्रावधान, दोनों ही को कवर करती है। यूएसओएफ की ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइन (आर–डीईएल) स्कीम मार्च, 2008 को समाप्त हो रही है, क्योंकि अत्यंत कम दर पर इस स्कीम के सेवा प्रदाताओं के लिए बढ़ाई गई समय की वर्तमान अवधि समाप्त हो रही है। 01.04.2002 में इसे प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूएसओएफ नई ग्रामीण लाइनों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। यह नोट किया गया है कि बीएसएनएल द्वारा 01.04.2002 से पूर्व स्थापित की गई लाइनों (इस तारीख से पूर्व किसी भी सेवा प्रदाता ने आर–डीईएल स्थापित नहीं की थी) को विनियमित किराए और वास्तविक किराए के बीच अंतर के आधार पर 01.04.2002 से 01.02.2004 की अवधि के लिए यूएसओएफ द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इन आर–डीईएल के लिए यूएसओ सहायता 01.02.2004 से वापस ले ली गई क्योंकि एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) की व्याप्ति को बढ़ाया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लागत आधारित किराए और विद्यमान किराए के कारण व्युत्पन्न होने वाले डेफिसिट की पूर्ति को शामिल किया गया था।

3. ट्राई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बीएसएनएल के पास ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 99.87 प्रतिशत वायरलाइनें हैं। अनेक क्षेत्रों में यह संचार का एकमात्र साधन है। किसी भी समर्थन के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में इंकम्बेंट के विद्यमान वायरलाइन प्रचालनों के अनुरक्षण में बाधा आ सकती है। बाजार में घोर प्रतिस्पर्धा के कारण एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में बीएसएनएल बिना किसी प्रतिपूरक वित्तीय सहायता के अभाव में इन उच्च लागतों और निवल हानि को बनाए रखना पसंद नहीं करेगा। यदि कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी, तो कमी की पूर्ति टैरिफों में वृद्धि करके की जाएगी अथवा सेवा प्रदाता अपने व्यवसाय को ही समाप्त कर देगा। दोनों ही परिस्थितियों में, ग्रामीण–शहरी अंतर और भी बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप एनटीपी 1999 तथा यूएसओ नीति में उद्घोषित सार्वभौमिक एक्सेस के सिद्धांत निष्फल हो जाएंगे। एक अन्य दृष्टिकोण से इन लाइनों की उत्तरजीविता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिक्सड वायरलाइन नेटवर्क की यह बपौती एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्ति है जो अनेक लाभ प्रदान करती है। वर्तमान प्रधान–ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी डिजिटल सब्सक्राइबर

लाइन (डीएसएल) कॉपर पर कार्य करती है तथा यह अंततः ब्रॉडबैंड पैंठ को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की व्यापक स्थापना के निर्माण में अभी कुछ समय लगेगा परंतु जब यह स्थापित हो जाएगी, बीएसएनएल, आईपीटीवी, टेली–मेडीसन, ई–लर्निंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करके एआरपीयू में वृद्धि करने में समर्थ होगा तथा इन लाइनों को आत्म–निर्भर बना सकेगा। ऐसा करने के लिए यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि वायरलाइन कनेक्शनों को समर्थन दिया जा रहा है तथा उपयुक्त आर्थिक–सहायता के माध्यम से उनके अनुरक्षण का ध्यान रखा जा रहा है।

4. पूर्व की अधिसूचनाओं के माध्यम से स्थापित ढांचे के भीतर, प्राधिकरण ने एडीसी को समाप्त करने, यूएसओएफ से ग्रामीण वायरलाइन को सहायता प्रदान करने तथा ग्रामीण नेटवर्क का विकास करने और मोबाइल सेवाओं के लिए सब्सक्रिप्शन को प्रोत्साहित करने के लिए परिणामी बचतों का प्रयोग करने की प्रचालकों से अपेक्षा करते हुए ग्रामीण मोबाइल टेलीफोनों की वृद्धि के मुद्दों पर परामर्श के लिए पणधारकों को आमंत्रित किया। यह आशा की जाती है कि आगामी तीन वर्षों में वृद्धि का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होगा। एडीसी को समाप्त किए जाने तथा ग्रामीण वायरलाइनों के लिए सहायता को यूएसओएफ से प्रदान किए जाने के बारे में अत्यधिक समर्थन दर्शाया गया था। ऐसा करने से एडीसी के रूप में आर्थिक सहायता के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में तथा साथ ही ग्रामीण टेलीफोनी के लिए वैध एवं अत्यावशक सहायता को जारी रखने में मदद मिलेगी। ग्रामीण वायरलाइन नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए आर्थिक सहायता ऐसे अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर भी सुनिश्चित करेगी जिनके पास बीएसएनएल की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च अनुरक्षण नेटवर्क नहीं हैं तथा जिन पर उन सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने की बाध्यता भी नहीं है, जो ठोस व्यापारिक मामलों के आधार पर उन्हें निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। निम्न खंडों में अंतर्विष्ट सिफारिशों को तैयार करने में, प्राधिकरण ने सार्वजनिक परामर्शों के दौरान उपलब्ध कराए गए सुझावों पर भी पर्याप्त विचार किया है।

5. यह आशा की जाती है कि ये सिफारिशें सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करके समाप्त न होने वाली सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के उपयोग के माध्यम से एडीसी के उन्मूलन के पश्चात् देश में ग्रामीण वायरलाइन प्रचालनों के अनुरक्षण में मदद करेंगी।

आईयूसी/एडीसी विनियमों का ढांचा

6. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी) प्रणालियां ट्राई द्वारा दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 1) दिनांक 24 जनवरी, 2003 के माध्यम से स्थापित की गई थीं। यह प्रणाली 01.05.2003 से प्रभावी हुई। प्राधिकरण ने उक्त प्रणाली की समीक्षा की तथा संशोधित आईयूसी और एडीसी प्रणालियां "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29.10.2003 द्वारा अधिसूचित की गईं, जिसने उक्त संदर्भित पूर्व विनियमों का अधिक्रमण किया तथा ये 01.02.2004 से प्रभावी बनीं। तब यह प्रधान विनियम बन गया जिसमें स्थापित ढांचे के भीतर समय–समय पर संशोधन किया गया और इसमें उद्योग की समकालीन स्थिति प्रतिबिंबित हुई।